कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख शाखा जिला – बेमेतरा (छत्तीसगढ़)

–:ज्ञापनः–

क्रमांक / 1041 / भू.अभि. / स्था. / 2016 बेमेतरा दिनांक 24.08.2016

प्रति,

महाप्रबंधक
छत्तीसगढ़ संवाद
छोटा पारा, महिला थाना के पास,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– राष्ट्रीय भू–अभिलेख के आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.) योजना अंतर्गत Mobile Compactor एवं फर्नीचर क्रय करने हेतु निविदा प्रकाशित करने बाबत्।

–000–

विषयान्तर्गत जिला बेमेतरा(छ.ग.) के पुराने राजस्व अभिलेखों का राष्ट्रीय भू–अभिलेख के आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.) योजना अंतर्गत Mobile Compactor एवं फर्नीचर क्रय किया जाना है। उक्त कार्य करने हेतु निविदा आंमत्रित किया जाना प्रस्तावित है। जिसके नियम एवं शर्तें तथा कार्य वितरण इत्यादि जिला– बेमेतरा के वेब साईट www.bemetara.gov.in पर उपलब्ध है। अतएव संलग्न संक्षिप्त निविदा सूचना को 02 राष्ट्रीय स्तर तथा 02 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में तीन दिवस के भीतर प्रकाशित करने का कष्ट करेंगें।

संलग्न :– संक्षिप्त निविदा सूचना।

R. Sh...L 179

कलेक्टर
जिला – बेमेतरा(छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1042 / भू.अभि. / स्था. / 2016 बेमेतरा दिनांक 24.08.2016

प्रतिलिपि :–

1. सहायक संचालक,जन संपर्क ,जिला – बेमेतरा (छ.ग.) की ओर दैनिक समाचार पत्रों में समाचार के रूप में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।
2. जिला–सूचना विज्ञान केंद्र बेमेतरा की ओर जिला – बेमेतरा (छ.ग.) के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

R. Sh...L 179

कलेक्टर
जिला – बेमेतरा(छ.ग.)

283
26/08/16

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला बेमेतरा (छ.ग.)

–: संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचनाः–

क्रमांक / 1036 / कले. / भू.अभि. / 2016 बेमेतरा , दिनांक 24/08/2016.

राष्ट्रीय भू–अभिलेख कार्यक्रम एन..एल.आर .एम.पी. (ई–धरती) योजना अंतर्गत जिला बेमेतरा (छ.ग.) के तहसील–बेमेतरा, साजा, बेरला, नवागढ़ के माडर्न रिकार्ड रूम में राजस्व अभिलेखों के संधारण हेतु Mobile Compactor एवं फर्नीचर का क्रय किया जाना है। उक्त सामग्री क्रय करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

01. निविदा प्रारूप जिला कार्यालय **भू–अभिलेख शाखा, बेमेतरा (छ0ग0)** में कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर नगद राशि **रू.1000** जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

02. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि **22.09.2016** समय अपरान्ह **02:00 बजे** तक।

03. भरी निविदा बंद लिफाफे में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **22.09.2016** समय अपरान्ह **03:00 बजे** तक।

04. निविदा उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोले जाने का दिनांक **22.09.2016** समय अपरान्ह **04:00 बजे** **स्थान– अपर कलेक्टर कक्ष, जिला कार्यालय, बेमेतरा।**

05. निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी जिला कार्यालय भू–अभिलेख शाखा, बेमेतरा (छ0ग0) से प्राप्त किया जा सकता है, अथवा जिले की वेबसाईट www.bemetara.gov.in पर भी अवलोकन किया जा सकता है।

R. Shukla

कलेक्टर,
जिला–बेमेतरा(छ.ग.)

–:– निविदा की शर्तें –:–

1. **निविदा प्रपत्र** :– निविदा प्रस्ताव संलग्न परिशिष्ट– एक के अनुसार निर्धारित प्रारूप में किया जायेगा। निविदा प्रारूप कार्यालय में उपस्थित होकर 1000/–रूपये का नगद अथवा बैंक चालान द्वारा शुल्क जमाकर प्राप्त किया जा सकेगा। निविदा फार्मों की प्राप्ति एवं उनके विकय के लिये कार्यालय में एक स्टाक पंजी संधारित की जावेगी।

2. **प्रस्तुत करने का तरीका** :– . इच्छुक निविदाकार अपना प्रस्ताव बंद लिफाफे में प्रस्तुत करेगा। बंद लिफाफे के भीतर दो अन्य बंद लिफाफे तकनीकी निविदा एवं दर निविदा के नाम से संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। तकनीकी निविदा में अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट निविदाकार के निविदा फार्म तथा संलग्न किये जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति होना आवश्यक हैं। दर निविदा में केवल दर संबंधी प्रस्ताव संलग्न किया जावेगा। सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जावेगी तथा पात्र पाये जाने पर दर निविदा खोली जावेगी ।

3. **निविदा प्रपत्र का जमा किया जाना** :– इच्छुक निविदाकार निर्धारित प्रारूप में जो कि कार्यालय जिला–बेमेतरा से प्राप्त किया गया है उसी में भरकर संपूर्ण विवरण एवं दस्तावेज के साथ स्वयं या रजिस्टर्ड डाक द्वारा **स्थान – कार्यालय कलेक्टर , भू–अभिलेख शाखा, बेमेतरा** में दिनांक **20.09.2016** के अपरान्ह **03.00** बजे तक किसी भी कार्यालयीन दिवस के कार्यालयीन समयावधि में जमा किया जा सकेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4. भू–अभिलेख शाखा बेमेतरा द्वारा प्रदाय की गई निविदा प्रपत्र के अतिरिक्त अन्य प्रपत्र में प्रस्तुत निविदा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जावेगा। अधूरे तथा अपूर्ण निविदा प्रपत्र भी अस्वीकार कर दिया जावेगा।

5. निविदाकार के द्वारा दिया गया दर कार्यादेश के तिथि से लेकर आगामी 12 माह के लिए वैध माना जावेगा। प्रस्तावित दर में समस्त कर शामिल होना आवश्यक है।

6. .सफल निविदाकार को बताये गये निर्धारित स्थान पर मोबाईल काम्पेक्टर/फर्नीचर पहुँचाकार तथा इंस्टाल करके देना होगा। इस कार्य हेतु परिवहन व्यय एवं इंस्टालेशन चार्ज अलग से देय नहीं होगा।

7. **अमानत राशि** :– निविदा प्रपत्र के साथ रूपये **50,000/–(पचास हजार रूपये मात्र)** की अमानत राशि निविदाकार को जमा कराया जाना आवश्यक होगा। निविदाकार द्वारा अमानत की राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा कराई जावेगी। सफल निविदाकारों की स्थिति में यह राशि बाद में जमा करायी जाने वाली सुरक्षा निधि के रूप में समायोजित की जावेगी। असफल निविदाकारों को यह राशि निविदाओं पर निर्णय लिये जाने के तत्काल बाद लौटाई जायेगी।

8. **सुरक्षा राशि** :— सफल निविदाकार को करारनामा निष्पादित करते समय कुल निविदा राशि का **3% राशि** सुरक्षा निधि के रूप में जमा करायी जायेगी। सुरक्षा राशि बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. के रूप में ही जमा कराई जावेगी जो कि कलेक्टर बेमेतरा के नाम से बंधक रखी जायेगी। तत्पश्चात् सफल निविदाकार को काम्पेक्टर कार्य सौंपा जायेगा। सफल निविदाकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप कार्य सफलतापूर्वक किये जाने पर सुरक्षा निधि वापस लौटाई जायेगी। सुरक्षा राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

9. **कार्य का स्वरूप एवं संक्षिप्त विवरण** :— बेमेतरा जिले में कुल 708 राजस्व ग्राम हैं एवं जिले के 04 तहसीलों में दिये गये निर्धारित साईज में कार्य सम्पादित किया जाना होगा।

01.**करारनामा** :— सफल निविदाकार को निर्धारित प्रारूप के अनुसार एक करारनामा निष्पादित कराना होगा। करारनामा निष्पादित हो जाने के बाद ही कार्य—आदेश जारी किया जाएगा। सफल निविदाकार को काम्पेक्टर/फर्नीचर की व्यवस्था का कार्य निर्धारित समय—सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।

02.**अनुभव** :— निविदाकार छत्तीसगढ़ के किसी जिले के तहसील कार्यालय में काम्पेक्टर /फर्नीचर कार्य के संबंध में कार्य किया हो, तो उस जिले का जिला कलेक्टर के द्वारा हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

03.निविदाकार के पास इस क्षेत्र में कम से कम **एक वर्ष** कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

04.निविदाकार फर्म/कम्पनी का वाणिज्यकर विभाग में पंजीयन होना आवश्यक है। पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।

05. निविदाकार फर्म/कम्पनी का सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

06. निविदाकार का विगत तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्न—ओवर कम से कम **50 लाख रूपये** होना चाहिए। टर्न—ओवर दस्तावेज/प्रमाण पत्र संलग्न करें।

07. निविदाकार को पेनकार्ड एवं विगत तीन वर्षों का आयकर विवरणी की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

08. निविदाकार को वेट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

09. निविदाकार को फर्म / कम्पनी को किसी शासकीय विभाग / संस्था से ब्लेक लिस्ट नहीं होना चाहिए।

10. निविदाकार के देयक से वेट टैक्स एवं आयकर की कटौती कर भुगतान किया जावेगा।

11. **स्टॉफ की जानकारी** सफल निविदाकार को काम्पेक्टर कार्य में कार्यरत स्टाफ एवं सुपरवाईजर उनके निवास स्थान, पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर की जानकारी सत्यापित करके देनी होगी तथा इनका चरित्र तथा राजनैतिक दलों से असम्बद्धता को भी प्रमाणित करना होगा।

12. **कार्य की अवधि** :– सफल निविदाकार को जारी कार्यादेश की तिथि से 90 दिवस के भीतर पूर्ण करनी होगी। इसमें विलंब होने पर प्रतिदिन के हिसाब से **0.5%** उनको की जाने वाली भुगतान से अथवा उनके जमा सुरक्षा राशि से कटौती किया जाएगा। 30 दिन से अधिक विलंब करने पर उनके द्वारा निष्पादित करारनामा स्वमेव निरस्त माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्षकार को कोई राशि भुगतान नहीं की जाएगी तथा शासन को इस विलंब से हुई क्षति के लिये राशि द्वितीय पक्षकार द्वारा जमा सुरक्षा राशि को राजसात कर पूर्ति की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में कार्य पूरा करने की अवधि प्रभारी अधिकारी द्वारा बढ़ाई जा सकेगी जो कि 30 दिन से अधिक की नहीं होगी।

10. कार्य की गोपनीयता :–

काम्पेक्टर / फर्नीचर का कार्य करने वाले को यह वचन देना होगा कि कार्य की गोपनीयता एवं सुरक्षा के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा इसमें किसी प्रकार की विफलता एवं चूक के लिए उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

11. तहसीलवार कार्य पूर्ण करने के पश्चात् द्वितीय पक्षकार द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर क्रमशः किश्तों में भुगतान किया जावेगा। किसी प्रकार की अग्रिम राशि प्रदान नहीं की जायेगी।

12. निविदाएँ केवल मूल उपकरण निर्माताओं या उनके भारतीय कार्यालय से संबंधित अधिकृत वितरक से स्वीकार किया जावेगा।

13. प्रदायक BIFMA का सदस्य होना चाहिए। प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. विनिर्माण या निविदाकर्ता ISI या ISO-9001, 14001, 1800 संगठन से प्रमाणित होना चाहिए। पर्यावरण और मानव संसाधन के अनुरूप modulator निर्माता भी ISO-9001, 14001, 1800 का और ग्रीन गार्ड प्रमाण–पत्र होना चाहिए। कृपया प्रमाणित निर्माता कंपनी का प्रमाण–पत्र लगाया जावें। यदि अधिकृत डीलर भाग ले रहा है तो निर्माता कंपनी का उपरोक्त

सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा में स्वतः ही उसका नाम खारिज हो जायेगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

15. उत्पाद Compactor , Green Gard (ग्रीन गार्ड) प्रमाणित होना चाहिए। जिसके संबंध में निविदाकार को निविदा के तकनीकी बिट में प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। प्रमाण–पत्र की अनुपलब्धता में निविदाकार की निविदा स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। जिसकी जवाबदारी निविदाकार की होगी।

16. निविदाकार कार्यक्षेत्र का दौरा कर अच्छी तरह से सभी संबंधित तहसील के कमरे/हाल इस परियोजना में शामिल किया गया है, तकनीकी निविदा दस्तावेजो के साथ विस्तृत तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किए जाने की ड्राईंग की विस्तृत लेआऊट तैयार कर निविदा आवेदन में देना होगा। ऐसा न करने से निविदा स्वतः खारिज हो जाएगी।

17. सशर्त निविदाएं स्वीकार्य नहीं होगी।

18. बजट उपलब्धता एवं प्राप्त दर के आधार पर उपकरण की संख्या में कमी/वृद्धि संभव है। यह अधिकार कलेक्टर बेमेतरा के पास सुरक्षित होगा।

19. सफल निविदाकार द्वारा प्रदाय सामग्री (काम्पेक्टर) **Annexure-3** के अनुरूप तकनिकी क्षमता का होना अनिवार्य है।

20. निविदा के उल्लेखित शर्त में से किसी भी को पूर्णतः अथवा अंशतः कार्य की तात्कालिकता एवं विशिष्ट परिस्थितियों में कलेक्टर बेमेतरा द्वारा शिथिल किया जा सकेगा एवं कलेक्टर बेमेतरा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

21. चयनित निविदाकर्ता को संबंधित कार्यादेश मिलने के सात दिवस के भीतर कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख शाखा बेमेतरा से संपर्क कर निविदा कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य है।

22. चयनित फर्म को राशि का भुगतान कार्यपूर्ण किये जाने के 30 दिवस के भीतर किया जावेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति का सत्यापन अधीक्षक भू–अभिलेख शाखा बेमेतरा तथा संबंधित तहसीलदार द्वारा किया जावेगा।

23. अगर कोई आपूर्ति कर्ता ने निविदा में भाग लिया है अथवा अपना दर प्रस्तुत किया है तो यह माना जायेगा कि निविदा की सभी नियम एवं शर्तें उन्हें पूर्णतः स्वीकार्य है। कार्यादेश देते समय अनुबंध किया जायेगा जिसकी सभी शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

24. सभी अन्य बातें समान रहने पर आई.एस.आई. या आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र प्राप्त इकाईयों को प्रदाय आदेश में प्राथमिकता दी जायेगी।

25. निविदा के साथ जमा किये जा रहे दस्तावेजों एवं प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म का सील एवं अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर हो यह सुनिश्चित कर लिया जावे।

26. प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है से वैध सक्षमता प्रमाण–पत्र प्राप्त है उसका परीक्षण कर उन्हें क्रय प्रकिया में भाग लेते समय सुरक्षा निधि जमा करने से छूट दी जावेगी। निविदाकार द्वारा इस आशय का प्रमाण निविदा के साथ देने पर ही उन्हें छूट प्राप्त होगा।

27. निर्धारित तिथि व समय को PREQUALIFICATION BID-ENVELOPE "A" को सर्व प्रथम खोला जाएगा तथा प्रथम लिफाफे में ऊपर उल्लेखित समस्त दस्तावेजों का होना अनिवार्य है उपरोक्त दस्तावेजों में से एक भी दस्तावेज के अभाव में द्वितीय लिफाफा COMMERCIAL BID-ENVELOPE "B" नहीं खोला जायेगा एवं संबंधित निविदाकार को अयोग्य एवं उनकी भागीदारिता को निरस्त माना जायेगा। तकनीकी मापदंड पूर्ण करने पर वित्तीय निविदा में प्रस्तुत न्यूनतम दर के आधार पर कार्य आबंटन का निर्णय क्रय समिति द्वारा लिया जावेगा। क्रय समिति किसी भी निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है। दरों के अधिक होने के कारण सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने की पूर्ण शक्ति क्रय समिति को होगी।

28. आपूर्ति की गई सामग्री का निविदा क्रय समिति के द्वारा भौतिक सत्यापन किया जावेगा तथा गुणवत्ता परीक्षण किया जावेगा। निर्धारित मापदंड अनुसार नही पाए जाने पर संबंधित फर्म को लिखित सूचना दी जावेगी तथा फर्म को एक सप्ताह के भीतर अपने स्वयं के व्यय पर आपूर्ति की गई सामग्री को उठाना होगा एवं परिवर्तन कर तत्काल देना होगा। निर्धारित अवधि में वापस नही ले जाने पर आपूर्ति की गई सामग्री की क्षति अथवा हानि के लिए इस कार्यालय का कोई दायित्व निर्मित नहीं होगा तथा हानि की राशि बंधित फर्म से वसूल की जावेगी।

29. इस निविदा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर कलेक्टर बेमेतरा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

दिनांक 24 / 08 / 2016

कलेक्टर
बेमेतरा (छ0ग0)

डिप्टी कलेक्टर
बेमेतरा (छ.ग.)